

## वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम— प्रसव पूर्व लिंग जाँच (दुरुपयोग निवारण अधिनियम)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष— A.8.1

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या— A.8.1

### कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण —

राज्य में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं है। राज्य में प्रति हजार पुरुषों पर मात्र 927 महिलाएँ हैं। अल्ट्रासाउण्ड के द्वारा गर्भस्थ शिशु की लिंग जाँच कर गर्भपात के भी कई मामले हैं जो विपरीत लिंगानुपात को बढ़ावा देते हैं। अतः स्वास्थ्य प्रदाता को इस विषय पर जागरूक करना हमारी प्राथमिकता है। जिला तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर इस हेतु जागरूकता कार्यशाला (बेटी बचाओ कार्यशाला) का आयोजन किया जाना है।

इकाई राशि (रु० लाख में)—जिलों को आवंटित राशि जो कि संबंधित मद में दिया गया है उसके अन्तर्गत 25000/- रु० प्रति कार्यशाला की दर से जिलों में कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है। जिसका निर्णय जिला स्तर पर ही लिया जाएगा। यह संभव है कि 25000/- रु० की दर से आपके जिले को आवंटित कुल राशि का योग नहीं मिल सकता है। यह इसलिए है कि आप आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की इकाई मदों को परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसके अतिरिक्त टीम बनाकर क्लिनिक का निरीक्षण भी प्रशिक्षित चिकित्सक करेंगे। इस गतिविधि के लिए जिलों को राशि आवंटित की गई है जिसमें कार्यशाला तथा अनुश्रवण एवं सर्वेक्षण का खर्च जोड़कर राशि का आवंटन किया गया है।

### इकाई राशि —

क्लिनिक के निरीक्षण हेतु राशि — इस राशि का उपयुक्त निगरानी करने वाले पदाधिकारी के वाहन के ईंधन तथा जलपान हेतु व्यय किया जाएगा।

ईंधन— वास्तविक व्यय के आधार पर (Govt. of Bihar)

जलपान (Tea, Snacks) — अधिकतम रु० 50/-

### वित्तीय दिशा निर्देशन— कार्यशाला हेतु

S. No.	Items	Amount (Unit Cost)
1.	Venue Hiring	5000max./Day
2.	Working Lunch/Tea Snack	11250 @150/per person/per Day for 75 person
3.	Honorarium to Guest Faculty/State for one person	1000/Day =
4.	Photocopy/Stationery etc.(for training material)	7750/-

मूल्यांकन — कार्यशाला का मूल्यांकन, मूल्यांकन—प्रपत्र के आधार पर जवाबदेही जिला कार्यक्रम प्रबंधक की होगी।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम—डा० वर्ष सिंह, सलाहकार—एम०सी०एच०

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर—0612-3244034,9470003013